कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ।

पत्रांकःगान्यता / 2017 /

13988-91

/2017-18 दिनांक 30-1-1

-18:CD

ः भाइकल स्कूल रक्सा, बबीना—झॉसी।

ातेच्याः निषुक्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निष्ठुक्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन प्रदस्त विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/नियमित।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक संख्या/मान्यता/639-42/2015-16 दिनांक 10.04. 2015 के द्वारा आपके विद्यालय की कक्षा प्री प्राईमरी से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की अनिन्तम गान्यता 30.06.2017 तक(तीन वर्ष) की अविध के लिये प्रदान की गई थी ।

आप द्वारा प्रसंगत मान्यता के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में खण्ड हिंद्या अधिकारी बबीना झॉसी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या एव संस्तुति दिनांक 12.10.2017 के आधार पर विद्यालय की मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकृत/नियमित किया जाता है कि अस्थाई मान्यता के संबंध में निद्युल्क और अनिवार्य बाल हिंद्या का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निज्जल्क और अनिवार्य बाल हिंद्या का अधिकार अधिनियम 2010 के उल्लिखित प्राविधानों एवं समय—समय पर निर्गत होने वाले श्रासनादेशें का पालन सुनिक्षित किया जायेगा तथा किसी भी स्तर पर इन प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी ।

(हरिवर्ष कुमार) जिला बेसिक क्षिप्ता अधिकारी, झांसी।

पृष्ठांकन संख्या:मान्यता. / /2017—18 तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्सवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 मण्डलीय सहायक शिक्षा निर्देशक (बेरिक) जासी ।
- त्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी ।
- सम्बंधित खण्डं विंक्षा अधिकारी ।

(हरिवंब कुमार) जिला वेसिक रिक्षा अधिकारी, झांसी।